

वर्तमान परिवेश में वैवाहिक प्रतिमान एवं संविधान (गवालियर महानगर का एक अध्ययन)

डॉ. राजेश कुमार सक्सेना, प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, विजयाराजे शासकीय कन्या स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, मुरार, गवालियर म.प्र.

सार

हिन्दू धर्म में विवाह को जन्म-जन्मांतर का बंधन माना जाता है तथा विवाह विच्छेद करना सामाजिक दृष्टि से हेय माना जाता है, परंतु कुछ एक दशकों में हुये परिवर्तनों के कारण निश्चयात्मक तौर से अब यह नहीं कहा जा सकता कि आज की युवा पीढ़ी जन्म-जन्मांतर के बंधन या धार्मिक कर्तव्य और संस्कार तथा सामाजिक दायित्व बोध से ही विवाह करता है। हिंदुओं में भी विवाह का स्वरूप अब समझौते का बनता जा रहा है। तलाक को कानूनी मान्यता मिल चुकी है लेकिन, इसका तार्पण यह नहीं है कि प्रत्येक हिंदु के लिये अब विवाह का स्वरूप पश्चिम की तरह, समझौते का हो गया है और इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, वर्तमान समय में भी हिंदुओं के लिये कानूनी विवाह, विवाह के लिये पंजीकरण, अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक विवाह लोकप्रिय नहीं हैं। कानूनी प्रतिबंध के होते हुये बाल विवाह का प्रचलन है तथा कानूनी संरक्षण के होते हुये भी विवाह विवाह नहीं हो पा रहे। दहेज लेना व देना दोनों ही अपराध है इसके बावजूद भी दहेज का प्रचलन न केवल बना हुआ है बल्कि यह बहुसंख्यक हिंदुओं के प्रभाव के कारण अन्य समुदायों में भी प्रचलित हो गया है जहाँ इसका प्रचलन पहले नहीं था।

कुंजी शब्द – हिन्दू विवाह, अधिनियम, प्रतिमान मान्यता –

विवाह एक सर्वव्यापी और सार्वभौतिक संस्था है जो सभी समाजों में विद्यमान है सभ्य और असभ्य तथा आदिम और आधुनातन जैसे समाज विवाह संस्था से संबंध रहे हैं। वस्तुतः विवाह नामक संस्था प्रत्येक काल और प्रत्येक समाज में रही है, चाहे उसके स्वरूप जो भी रहे हो। मनुष्य की यौन और संतानोत्पत्ति की मूल प्रवृत्तियों की संतुष्टि विवाह के माध्यम से ही संभव रही है। वंश, कुल और परिवार की निरंतरता विवाह संस्था से ही बनी रही है तथा जीवन के विविध पक्ष उससे अनुप्राणित होते रहे हैं। सही अर्थों में विवाह, परिवार का प्रधान आधार रहा है, जिससे संतान की उत्पत्ति के साथ-साथ उसका विकास क्रम भी अभिव्यक्त रहता है केवल यौन संतुष्टि ही विवाह-संस्था का आधार नहीं थी बल्कि इसका धार्मिक और सामाजिक आधार भी रहा है। मजूमदार एवं मदान ने उचित ही लिखा है कि विवाह संस्था का संबंध एक विशेष सामाजिक स्वीकृति से है जो साधारणतः कानूनी अथवा धार्मिक संस्कार के रूप में होती है और जो भिन्नलिनीय व्यक्तियों को यौन संबंध स्थापित करने तथा उससे संबंधित सामाजिक आर्थिक संबंधों का उन्हें अधिकार देते हैं।

वर्तमान समय में औद्योगिकरण, नगरीकरण पश्चिमीकरण के साथ जीवन में भौतिक मूल्यों के समावेश मानवाधिकार स्त्री-शिक्षा के प्रचार प्रसार के वैधानिक विधानों की सुखवादी पहल इत्यादि के कारण विवाह से संबंधित परम्परागत पक्ष और जीवन – साथी के चुनाव में परिवर्तन हुआ है। इसलिए विश्व के सभी देशों और समाजों के समाज की संरचनात्मक इकाई परिवार को जन्म देने वाली संस्था विवाह के अध्ययनों का महत्व बढ़ा।

भारत में वैसे तो विवाह संबंधी कई अध्ययन हुए हैं। इनमें एम.एन. श्री निवास (1942) किंग्सले डेविस (1942), के एम कपाड़िया (1968), प्रमिला कपूर (1970), आर के शर्मा, (1981), भल्ला डी एम. (1992), मित्रा एम. (1994) इत्यादि प्रमुख हैं यह अध्ययन मुख्यतः विवाह की अवधारणात्मक, धार्मिक पक्ष, स्वरूपों रीति रिवाजों और विवाह से संबंधित विधान या दहेज, बाल-विवाह जैसी समस्याओं से संबंधित रहे हैं। जहाँ तक विवाह संस्था में परिवर्तन का संबंध है अंग्रेजी शासन काल के प्रारंभ से ही ऐसे कानून बनते रहे हैं, जिनके द्वारा विवाह के परंपरागत नियमों में परिवर्तन का प्रयत्न किया गया इसका उदाहरण बंगाल सती निरोधके अधिनियम जो 1829 में बना जिसमें सती के नाम पर महिला को जिंदा जलाने की कुप्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त विवाह पुनर्विवाह अधिनियम (1856), सतीप्रथा निषेध अधिनियम (1829), बाल विवाह अवरोध अधिनियम (1929), संपत्ति अधिकार अधिनियम (1937), विवाह विच्छेद अधिनियम (1956), हिंदू विवाह तथा विशेष विवाह अधिनियम (1956), हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956), लड़कियों से संबंधित अनैतिकता व व्यापार संबंधी अधिनियम (1956), दत्तक ग्रहण अधिनियम (1956), दहेज निरोधक अधिनियम (1961), मातृत्व लाभ अधिनियम (1961), विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

साधारणतः: विषय का अर्थ वधु को पिता के घर से पाणिग्रहण संस्कार के पश्चात् पत्नी रूप में ले जाना हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है जो दो विषमलिंगी व्यक्तियों को धार्मिक व सामाजिक



उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु एक पारिवारिक जीवन में आबद्ध करता है और जो जीवन की सार्थकता की दृष्टि से उनके लिए आवश्यक है हिंदुओं के लिए विवाह एक संस्कार है क्योंकि धार्मिक विधियों से अर्थात् मंत्रों के माध्यम से देवताओं के साक्ष्य में संपन्न वह एक पवित्र जीवन-बंधन है। हिंदू-विवाह एक सामाजिक समझौता न होकर धार्मिक संस्कार इसीलिए भी है क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह बंधन व्यक्तियों द्वारा निरचित न होकर पूर्व निरचित होता है। हिंदू विवाह में एक व्यक्ति के लिए, चाहे वह पुरुष हो अथवा स्त्री, आवश्यक माना गया है। स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण प्रारंभिक संस्कारों का विधान न होने के कारण विवाह अत्यधिक महत्वपूर्ण ही नहीं अपितु अनिवार्य भी है। पुरुष के लिए भी यह एक आवश्यक संस्कार है। मनु के अनुसार संतानोत्पत्ति करने के लिए ही स्त्री और पुरुष की सृष्टि हुई है। इसीलिए वेदों की धारणा है कि धर्म की साधना पुरुष को अपनी पत्नी के साथ करनी चाहिये।

प्रजनार्थ स्त्रियः सृष्टा: संतानार्थ च मानवाः।

तमासात्साधारणो धर्मः श्रुतो पत्या सहोदितः॥ (मनुष्मृति, 9 / 26)

हिंदू दर्शन के अनुसार एक हिंदू के जीवन की सार्थकता धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अर्थात् पुरुषार्थ की उचित साधना में निहित है। मोक्ष जीवन का चरम लक्ष्य है और उसकी प्राप्ति धर्म, अर्थ एवं काम की साधना से ही संभव है। बिना विवाह व गृहस्थ जीवन विधाएँ यह साधना पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए विवाह एक स्त्री और पुरुष का पुनीत कर्तव्य ही नहीं अपितु आवश्यक कर्तव्य भी है। विवाह गृहस्थ जीवन में यज्ञों के संपादन और ऋणों से मुक्ति के लिए भी आवश्यक है। पुनः पितृऋण से व्यक्ति मुक्त तब ही होता है जब वह विवाह कर संतान उत्पन्न करता है। संभवतः इन्हीं बातों के आधार पर मनु ने स्पष्ट कहा है, एक पुरुष स्वयं में पूर्ण नहीं होता वह अपनी स्त्री और संतान के साथ ही पूर्ण होता है।

एतावनेव पुरुषो यज्जायात्मा प्रजेतिह।

विप्राः प्राह्स्तया चेत थोर्मर्ता स हमृतांगना। (मनुष्मृति, 9 / 45)

उपलब्ध—साहित्य की समीक्षा – परंपरागत हिंदू विवाह के संबंध में कपाड़िया ने लिखा है, 'परिवार और समुदाय के प्रति विवाह एक सामाजिक कर्तव्य होता था, और इसमें व्यक्तिगत स्वार्थों की कतई गुंजाईश नहीं होती थी। पती—पत्नी के आपसी संबंधों में एकाधिकारवादी संयुक्त परिवार प्रणाली और जीवन में सर्वव्यापी प्रभुत्व रखने वाली जाति—प्रथा ने किसी भी निजी पहल निजी रुचियों और आकांक्षाओं को मान्यता देने की कोई गंजाईश नहीं छोड़ी थी।—श्रीमती कमला सिन्हा (1972) का मानना है कि भारत में विवाहित महिलाओं की मानसिकता आज भी पुरा नी है, अंतर्जातीय विवाह को निभा लेती है, उनकी तारीफ करनी चाहिए महिलाओं की ओर से तलाक के मामले बहुत कम सुनने को मिलते हैं जबकि कानून में इसके प्रावधान है।

श्री संतोष यादव ने 1981 में राजस्थान की स्त्रियों के अध्ययन में पाया कि राजस्थान की परंपरागत सामाजिक संरचना में उच्च जातियों में विधवा पुनर्विवाह का निषेध सांस्कृतिक परंपरा का आदर्श एवं सामाजिक पुर्न विवाह का निषेध सांस्कृतिक परंपरा का आदर्श एवं सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। 25 सितम्बर 2013 को टाइम्स ऑफ इण्डिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल देश के उन चार राज्यों में से हैं। जहाँ बाल विवाह सबसे ज्यादा होते हैं। केन्द्र सरकार द्वारा किये देशव्यापी सर्वे के अनुसार राज्य में जितनी भी शादियां होती हैं। उनमें से 54.07 प्रतिशत 18 वर्ष की कम लड़कियों की होती हैं।

सर बी.वी. शाह ने बड़ौदा युनिवर्सिटी के 200 छात्रों पर सर्वेक्षण किया व 200 छात्रों में से 130 छात्रों ने अपनी ही जाति में विवाह करने की इच्छा प्रकट की तथा मात्र 70 छात्रों ने अंतर्जातीय विवाह करने की इच्छा प्रकट की। अध्ययन का उद्देश्य — प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है कि सामाजिक विधानों के द्वारा विवाह संस्था के परम्परागत स्वरूप में कितना परिवर्तन हुआ है तथा देश व विशेष तौर से मध्यप्रदेश में सामाजिक अधिनियमों का विवाह पर योजनाओं की स्थिति क्या है?

अध्ययन की परिकल्पना —

1. विवाह की अनिवार्यता में कमी आई है वर्तमान में लोग विवाह करना आवश्यक नहीं मानते हैं।
2. सामाजिक अधिनियमों के द्वारा विवाह संस्था में परिवर्तन हुआ है, एवं इसका अस्तित्व खतरे में है।

अध्ययन क्षेत्र — संगीत साधना के महान प्रवर्तक संगीत सम्राट तानसेन की जन्म स्थली वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल एवं कवियों एवं कलाकारों की आराध्य नगरी ग्वालियर, मध्य प्रदेश का एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है जिसे अध्ययन संग्रह के रूप में चुना गया है।

शोध विधि — प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है




न्यायदर्श/प्रतिदर्श अभिकल्प— शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध अध्ययन में न्यायदर्श का चयन हेतु उद्देश्यपूर्ण निर्दर्शन विधि का चयन किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता ने 200 उत्तरदाताओं को स्व विवेक के आधार पर अध्ययन के लिए चुना है। जिसमें शिक्षित स्त्रियों को अध्ययन के लिए चुना गया है जो कि 20 से 50 वर्ष की आयु की थी।

तथ्यों का संकलन — प्रस्तुत शोध प्रबंध में तथ्य संकलन हेतु दोनों प्रकार के स्त्रोतों का उपयोग किया गया है। शोधार्थी ने अपने शोध अध्ययन के लिए प्राथमिक तथ्यों का संकलन स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूचि द्वारा सूचनाएं एकत्रित की गई तथा द्वितीयक स्त्रोत के अंतर्गत विभिन्न पुस्तकालयों से पुस्तकों, पत्र, जनरल्स के द्वारा तथ्य संकलित किए गए हैं।

तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या — तालिका क्रमांक 1

क्या आप अंतर्राजीय विवाह से सहमत हैं क्रमांक प्रकार संख्या प्रतिशत 1 हैं


क्रमांक	प्रकार	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	132	66.00
2	नहीं	68	34.00
3	योग	200	100.00



उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 66.00 प्रतिशत उत्तरदाता अंतर्राजीय विवाह करने में सहमत हैं तथा 34.00 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जो अंतर्राजीय विवाह करने के पक्ष में नहीं हैं। सामाजिक अधिनियम बनने के बाद भी तथा अंतर्राजीय विवाह से सहमत होने के बावजूद भी ऐसे अधिकांश परिवार हैं जिनके किसी सदस्य ने अंतर्राजीय विवाह नहीं किया है उनका मानना है कि ऐसे विवाह आज भी समाज द्वारा स्वीकार नहीं किये जाते हैं और इसका एक प्रमुख कारण बढ़ता हुआ आनर किलिंग भी है।

तालिका क्रमांक 2 समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए


क्रमांक	प्रकार	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	13	6.50
2	नहीं	187	93.50
3	योग	200	100.00



उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 93.50 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जो समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान नहीं करना चाहते हैं इनका मानना है कि समाज में समलैंगिकता को जहां एक विकार के रूप में लिया जाना चाहिए। समाज इसे सहज रूप में न ले, अन्यथा समाज में कई बीमारियां तथा समस्याएं खड़ी हो सकती हैं वही 6.50 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जो समलैंगिक विवाह करने में कोई बुराई नहीं मानते हैं।

तालिका क्रमांक 3 क्या आप विवाह के पूर्व लिव इन रिलेशनशिप के पक्ष में है?

क्रमांक	प्रकार	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	12	6.00
2	नहीं	188	94.00
3	योग	200	100.00



उपरोक्त सारणीसे स्पष्ट है कि – 94.00 प्रतिशत शिक्षित पुरुष एवं शिक्षित स्त्रियों के अनुसार वह लिव इन रिलेशनशिप के पक्ष में नहीं है। उनके अनुसार भारतीय समाज में इसे ज्यादा बढ़ावा नहीं मिलेगा यह परिवार एवं विवाह नामक संस्था के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा करती है। वही 6.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार वह इसे बुरा नहीं मानते हैं उनका मानना है कि यह लोगों का व्यक्तिगत मामला है।

निष्कर्ष- निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि वर्तमान में सामाजिक अधिनियमों ने विवाह संस्था को प्रभावित किया है। वर्तमान में विवाह की अनिवार्यता में कमी आई है। 10.00 प्रतिशत उत्तरदाता इसका प्रमुख कारण व्यक्तिक स्वतंत्रता में बाधा होना मानते हैं। 77.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार सामाजिक विधानों के कारण विवाह विच्छेद में वृद्धि हुई है। अब इसे पहले की तरह हीन भावना से नहीं देखा जाता है। 66.00 प्रतिशत उत्तरदाता अंतर्जातीय विवाह से सहमत है परन्तु 76.00 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जिनके परिवार में किसी ने अंतर्जातीय विवाह नहीं किया। नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनोमी रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में अंतर्जातीय विवाह करने वालों की संख्या पांच प्रतिशत है।

93.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा संबंध भारतीय परिवेश और संस्कृति में मान्य नहीं है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने लिव-इन-रिलेशनशिप में रहना अपराध नहीं माना है परन्तु अधिकांश उत्तरदाताओं के अनुसार इससे परिवार एवं विवाह संस्था प्रभावित होगी और उनके अनुसार इससे अधिक हानि महिलाओं को ही होती है, क्योंकि कोई भी पुरुष ऐसी महिला से विवाह करना नहीं चाहता जो लिव-इन-रिलेशनशिप में रही हो।

63.5 प्रतिशत उत्तरदाता इस बात से सहमत है कि विवाह संस्था का अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि वर्तमान में विवाह संस्था परिवर्तन के दौर से गुजर रही है विवाह पूर्व और विवाह के अतिरिक्त सहवास, विवाह रहित संतानोत्पत्ति, समलैंगिक विवाह की मान्यता, सहनिवास, बेमेल विवाह एवं अन्य तलाक की दरों को देखते हुए कहा जा सकता है कि विवाह के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन आया है तथा इसका अस्तित्व खतरे में है।

सुझाव –

1. सती प्रथा निषेध अधिनियम को महिमांदित करने वालों के लिये दिया जाने वाले दण्ड पर्याप्त नहीं है, सती प्रथा को समाप्त करने के लिये समाज में जन जागृति बढ़ने से इस प्रथा को पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है।
2. विधवा महिला के पुनः विवाह करने पर महिलाओं का विधवा के प्रति खराब व्यवहार किये जाने पर विरोध करना चाहिए तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए।
3. आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ोस व परिचित में बाल-विवाह किये जाने पर पुलिस या प्रशासन में शिकायत करने पर विवाह को रोका जा सकता है।
4. अंतर्जातीय विवाह को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए यह राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने में एवं जाति प्रथा को समाप्त करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इससे दहेज संबंधी घटनायें भी कम जो सकती हैं।

5. दहेज निरोध अधिनियम सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए तथा इसके लिये कठोर दण्ड का प्रावधान होना चाहिए।

प्रभाव –

1. प्राचीन काल में हिन्दू विवाह से संबंधित गोत्र, जाति, प्रबर आदि अनेक निषेधों का पालन करना पड़ता था। किन्तु नवीन विधानों ने गोत्र, जाति से संबंधित बंधन समाप्त कर दिये गये हैं।
2. प्राचीन हिंदू-विवाह एक धार्मिक संस्कार था, उनमें विवाह से संबोधित अनेक धार्मिक क्रियाओं का समावेश था। हिंदू-विवाह अधिनियम, 1955 के अनुसार अब विवाह स्त्री-पुरुष के बीच एक कानूनी समझौता बन गया है।
3. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत अंतर्जातीय एवं अंतर्धार्मिक विवाहों को मान्यता प्रदान की गई है। जो पहले निषिद्ध माने गये थे जिससे वर्तमान में किसी जाति एवं धर्म में विवाह किया जा सकता है। जिससे प्रेम विवाह एवं कोर्ट मैरिज की प्रवृत्ति बढ़ी है।
4. प्राचीन समय में विवाह साथी चुनने का दायित्व परिवारजनों पर ही था अतः वर-वधु अपना साथी चुनने में स्वतंत्र नहीं थे। किंतु अब वे स्वयं अपनी इच्छानुकूल जीवन साथी से विवाह करने लगे हैं तथा चयन में परिवार तथा नातेदारी का हस्तक्षेप कम हो रहा है वर्तमान में इंटरनेट द्वारा विवाह किया जाना युक्त एवं युवतियां पसंद कर रहे हैं।
5. वर्तमान में सामूहिक विवाह भी होने लगे हैं आज विभिन्न समाजों और जातियों के विभिन्न संगठनों द्वारा दहेज से मुक्ति पाने के लिये सामूहिक विवाहों का आयोजन किया जाता है।
6. सामाजिक विधानों का सर्वाधिक प्रभाव सती प्रथा की समाप्ति तथा बहुविवाह के अंत के रूप में दिखाई देता है एवं बाल-विवाह की समाप्ति या अल्पता भी देखी गई है इसके अलावा स्त्रियों को प्राप्त नवीन अधिकारों के कारण उनमें व्यक्तिवाद की भावना पनपी है, वे संयुक्त परिवार से प्रथक रहने पर जोर देने लगी। इसमें संयुक्त परिवारों के विघटन की प्रक्रिया तीव्र हुई है। विवाह विच्छेद की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण परिवार बिखर रहे हैं और बच्चों की परवरिश, पालन-पोषण समुचित रूप से नहीं हो पाता है।
7. यदि लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा मिला तो न तो समुदाय रहेगा और न परिवार। इससे रिश्ते-नाते सब खत्म हो जाएंगे और तब फ्री सेक्स के मामले में भारत भी ब्रिटेन और अमेरिका से पीछे नहीं होगा। यह कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस प्रकार के फैसलों से जनता का विश्वास उस पर से उठ सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :

1. कपाड़िया के.एम. 1958, मैरिज एण्ड फैमिली इन इण्डिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, बोम्बे।
2. सर.बी.वी. शाह, 1940, सोशल बेक ग्राउण्ड ऑफ बड़ौदा, यूनिवर्सल प्रेस बड़ौदा।
3. श्रीमती जी.बी. 1955, वूमन इन मार्डन गुजराती लाइफ, वीणा प्रकाशन बम्बई।
4. मजूमदार एवं मदान, 1958, इन इंट्रोक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलोजी, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
5. मनु स्मृति, कमला प्रकाशन चोखमा वाराणसी

